उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या–13/12/93–का–1–2013
लखनऊ : दिनांक : 08 मई, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–6 का प्रतिस्थापन

2. उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (14 जून, 2012 से प्रभावी)
सेवा का संवर्ग	6– प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय–समय पर सरकार द्वारा, अवधारित की जाय।	सेवा का संवर्ग 6.(1) प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय। (2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में प्रत्येक श्रेणी के पदों और सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है। (क) सरकारी विभाग या कार्यालय, जहां ड्राइवर संवर्ग में पदों की कुल संख्या दस या दस से अधिक

A

हो, पदों का विभाजन निम्नवत् होगा :–

क.सं.	पद का नाम	प्रतिशत के रूप में पदों की संख्या
1.	ड्राइवर ग्रेड–4	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का तीस प्रतिशत
2.	ड्राइवर ग्रेड–3	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का पच्चीस प्रतिशत
3.	ड्राइवर ग्रेड–2	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का बीस प्रतिशत
4.	ड्राइवर ग्रेड–1	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का पन्द्रह प्रतिशत
5.	ड्राइवर (विशेष ग्रेड)	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का दस प्रतिशत

(ख) सरकारी विभाग या कार्यालय, जहां ड्राइवर संवर्ग में पदों की कुल संख्या दस से कम हो, पदों का विभाजन निम्नवत् होगा :–

क. सं.	संवर्ग में पदों की संख्या	ड्राइवर ग्रेड–4	ड्राइवर ग्रेड–3	ड्राइवर ग्रेड–2	ड्राइवर ग्रेड–1	ड्राइवर (विशेष ग्रेड)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	1	–	–	–	–
2	2	1	1	–	–	–
3	3	1	1	1	–	–
4	4	1	1	1	1	–
5	5	1	1	1	1	1
6	6	2	1	1	1	1
7	7	2	2	1	1	1
8	8	2	2	2	1	1
9	9	3	2	2	1	1

परन्तु यह कि उपर उल्लिखित पुनर्संरचना के परिणाम स्वरूप निम्नतर ग्रेड के पदों पर काम कर रहे व्यक्तियों को ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर उच्चतर ग्रेड के पदों पर केवल एक बार के लिए समायोजित किया जायेगा और उच्चतर ग्रेड के पदों पर इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये सरकार

के आदेशों के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा :

परन्तु अग्रतर यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

नियम–7 का प्रतिस्थापन

3. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (14 जून, 2012 से प्रभावी)
भर्ती का स्रोत	7– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी : (1) ड्राइवर ग्रेड–4 (एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्लीनरों और समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और, यथास्थिति, भारी या हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो: परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता अथवा पोषक संवर्ग में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, ऐसी रिक्तियों को उपखण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा। (2) ड्राइवर ग्रेड–3 मौलिक रूप से नियुक्त ड्रावर ग्रेड–4	भर्ती का स्रोत 7– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी : (1) ड्राइवर ग्रेड–4 (एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त क्लीनरों और समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में, पोषक संवर्ग या पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को उपखण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा। (2) ड्राइवर ग्रेड–3 मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड–4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(3) ड्राइवर ग्रेड–2

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड–3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड–3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड–4 और ड्राइवर ग्रेड–3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(4) ड्राइवर ग्रेड–1

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड–2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड–2 के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी– उपखण्ड (2) और (3) में निर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रारम्भ के समय उक्त व्यावसायिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–433/दस–2005–44/2001–टी.सी., दिनांक 11 मई, 2006 और शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1057/दस–2008, दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 में विहित किया गया है।

(3) ड्राइवर ग्रेड–2

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर गेड–3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड–3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड–4 और ड्राइवर ग्रेड–3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(4) ड्राइवर ग्रेड–1

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड–2 में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड–2 के पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(5) ड्राइवर (विशेष ग्रेड)

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड–1 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

नियम–10 का प्रतिस्थापन

4. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु 10– सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जांय कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जांय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	आयु 10– सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जायं, कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जांय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम–22 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नियम–22 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1
विद्यमान उप–नियम

(2) उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत् दिये गये हैं :

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रू. में)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू. में)
(1) ड्राइवर ग्रेड–4	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
(2) ड्राइवर ग्रेड–3	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2400

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम

(2) उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत् दिये गये हैं:–

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रूपया)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रूपया)
(1) ड्राइवर ग्रेड–4	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
(2) ड्राइवर ग्रेड–3	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2400
(3) ड्राइवर ग्रेड–2	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
(4) ड्राइवर	वेतन	9300–34800	4200

(3) ड्राइवर ग्रेड–2	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
(4) ड्राइवर ग्रेड–1	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
ग्रेड–1	बैण्ड–2		
(5) ड्राइवर (विशेष ग्रेड)	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4600

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)

प्रमुख सचिव

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/12/93-ka-1-2013, dated May 08, 2013 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-1

NOTIFICATION
Miscellaneous

No. 13/12/93-ka-1-2013
Dated Lucknow, May 08, 2013

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993:

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT DRIVER'S SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2013

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service (Third Amendment) Rules, 2013. (2) They shall come into force at once.
Substitution of rule 6	2. In the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 6 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted (With effect from June 14, 2012)
Cadre of Service	6. The strength of the Service in each Government Department or office shall be such as may be determined by the Government from time to time under the relevant Service Rules or executive instructions, as the case may be.	Cadre of Service 6.(1) The strength of the service in each Government Department or Office shall be such as may be determined by the Government from time to time under the relevant Service Rules or executive instructions, as the case may be. (2) The strength of the service and of each category of posts in each Government Department or Office shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below: (a) The Government Department or Office where the total number of posts in the Driver Cadre is ten or more than ten,

the division of posts shall be as follows:

Serial no.	Name of post	Number of posts in terms of percentage
1.	Driver Grade-4	Thirty percent of the total number of posts in the cadre.
2.	Driver Grade-3	Twenty five percent of the total number of posts in the cadre.
3.	Driver Grade-2	Twenty percent of the total number of posts in the cadre.
4.	Driver Grade-1	Fifteen percent of the total number of posts in the cadre.
5.	Driver (Special Grade)	Ten percent of the total number of posts in the cadre.

(b) The Government Department or Office where the total number of posts in the Driver Cadre is less than ten, the division of posts shall be as follows:

Serial No	Number of posts in the cadre	Driver Grade-4	Driver Grade-3	Driver Grade-2	Driver Grade-1	Driver (Special Grade)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	1	-	-	-	-
2	2	1	1	-	-	-
3.	3	1	1	1	-	-
4.	4	1	1	1	1	-
5.	5	1	1	1	1	1
6.	6	2	1	1	1	1
7.	7	2	2	1	1	1
8.	8	2	2	2	1	1
9.	9	3	2	2	1	1

Provided that, as a consequence to the aforementioned restructuring, the persons working on the posts of lower grades shall be adjusted on the posts carrying higher grades only as a one time measure on the basis of seniority and suitability and their pay fixation on the posts of higher grades shall be made in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard:

Provided further that:

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to

compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Substitution of rule 7

3. In the said rules, for existing rule 7 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Source of recruitment

COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted (With effect from June 14, 2012)
7. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources: (1) Driver Grade-4 (i) 80 percent posts by direct recruitment. (ii) 20 percent posts by promotion from amongst substantively appointed Cleaners and Group "D" employees who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment and have a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years and must have passed class VIII examination from a recognised educational Institution: Provided that if the feeding cadre or the eligible persons in the feeding cadre are not available for promotion, such vacancies shall be filled through direct recruitment under sub-clause (i). (2) Driver Grade-3 By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-4 who have completed nine years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed the prescribed trade test. (3) Driver Grade-2 By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-3 who have completed six years substantive service on the post of Driver Grade-3 on the first day of the year of recruitment or, taken together, have completed a total fifteen years substantive service on the posts of Driver Grade-4 and Driver Grade-3 on the first day of the year of recruitment	Source of recruitment 7. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources: (1) Driver Grade-4- (i) 80 percent posts by direct recruitment. (ii) 20 percent posts by promotion from amongst substantively appointed Cleaners and Group "D" employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years and must have passed class VIII examination from a recognised educational Institution: Provided that if the feeding cadre or the eligible persons in the feeding cadre are not available for promotion, such vacancies shall be filled through direct recruitment under sub-clause (i). (2) Driver Grade-3- By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-4 who have completed nine years service as such on the first day of the year of recruitment. (3) Driver Grade-2- By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-3 who have completed six years substantive service on the post of Driver Grade-3 on the first day of the year of recruitment or, taken together,

COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted
and have passed the prescribed trade test. (4) Driver Grade-1 By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-2 who have completed three years substantive service on the post of Driver Grade-2 on the first day of the year of recruitment. NOTE- The syllabus for the trade tests referred to in clauses (2) and (3) above shall be such as may be prescribed by the Government from time to time. At the time of the commencement of the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service (First Amendment) Rules, 2009, the syllabus for the said trade tests is prescribed in the Government order no. Va-Aa-2-433/Ten-2005-44/2001T.C., dated May 11, 2006 and Government order no. Va-Aa-2-1057/Ten-2008, dated October 18, 2008.	have completed a total fifteen years substantive service on the posts of Driver Grade-4 and Driver Grade-3 on the first day of the year of recruitment. (4) Driver Grade-1- By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-2 who have completed three years substantive service on the post of Driver Grade-2 on the first day of the year of recruitment. (5) Driver (Special Grade)- By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-1 who have completed one year's service as such on the first day of the year of recruitment.

Substitution of rule 10

4. In the said rules, for existing rule10 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Age

COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted
10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than thirty five years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised or notified: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Age 10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised or notified: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Amendment of rule 22

5. In the said rules, in rule 22, for existing sub-rule (2) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 Existing sub-rule	COLUMN 2 Sub-rule as hereby substituted
(2) The scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Government Department	(2) The scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Government

Driver's Service (First Amendment) Rules, 2009 are given as follows:

Name of posts	Scale of pay		
	Name of Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Corresponding Grade Pay (Rs.)
(1)Driver Grade-4	Pay Band-1	5200-20200	1900
(2)Driver Grade-3	Pay Band-1	5200-20200	2400
(3)Driver Grade-2	Pay Band-1	5200-20200	2800
(4)Driver Grade-1	Pay Band-2	9300-34800	4200

Department Driver's Service (Third Amendment) Rules, 2013 are given as follows:

Name of post	Scale of pay		
	Name of Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Corresponding Grade Pay (Rs.)
(1)Driver Grade-4	Pay Band-1	5200-20200	1900
(2)Driver Grade-3	Pay Band-1	5200-20200	2400
(3)Driver Grade-2	Pay Band-1	5200-20200	2800
(4)Driver Grade-1	Pay Band-2	9300-34800	4200
(5)Driver (Special Grade)	Pay Band-2	9300-34800	4600

By order,

(Rajiv Kumar)
Principal Secretary

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या–13/12/93–का–1–2013
लखनऊ : दिनांक : 08 मई, 2013

अधिसूचना संख्या–13/12/93–का–1–2013, दिनांक 08 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
10. कार्मिक नियमावली प्रकोष्ठ।
11. नियुक्ति अनुभाग–6 को इस अनुरोध के साथ कि उक्त नियमावली को वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(सुरेश चन्द्र यादव)
विशेष कार्याधिकारी

10.5.13

14.5.13